[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना 11/2023- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली,26 सितंबर, 2023

सा. का. नि. ....(अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 9 के सामने, कॉलम (3), मद (ii), शब्दों "जिसके अंतर्गत किसी गैर-कराधेय राज्य क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी से सीमाशुल्क केंद्र तक परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाएं भी हैं" को विलोपित किया जाए।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगी।

[फाइल संख्या-CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 538(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के जरिए अंतिम बार संशोधित की थी।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 11/2023- Integrated Tax (Rate)

New Delhi, the 26th September, 2023

G.S.R......(E).-In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (ii), the words "including services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India", shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2023.

[F. No. - CBIC-190354/173/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

(Rajeev Ranjan)
Under Secretary to the Government of India

Note: - The principal notification number 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 06/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the official gazette *vide* number G.S.R. 538(E), dated the 26th July, 2023.